

पत्रांक - 8/व 3-44/08-अंश-1 5523 /

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति
बिहार, पटना

विषय:- बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के पदाधिकारी तथा कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियमावली।

1. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 04.08.2011 को समिति के कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित यात्रा नियमावली निम्नवत् है :-

(i) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के कर्मियों का वर्गीकरण

1.	Sr. Professional, Grade-I	इस वर्ग में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति में कोई पदाधिकारी नहीं है।
2.	Professional, Grade-II	Data Officer-cum-System Administrator Account Officer Nutrition Expert Assistant Programme Coordinator Accountant (Headquarter)
3.	Support Staff, Grade-III	Office Assistant Steno-cum-typist Computer Operator District Coordinator District Accountant Accountant-cum-Data Entry Operator District Resource Person Block Resource Person
4.	Auxiliary Staff, Grade-IV	Peon

- (ii) राज्य सरकार के ग्रेड पे के आधार पर उक्त वर्गीकरण के अनुसार समिति के कर्मियों को उनके मासिक वेतन परिलब्धि के आधार पर यथासंभव समरूपता लाते हुए वर्गीकरण निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

क्रम	राज्य सरकार के अनुसार वर्गीकरण	राज्य सरकार के द्वारा ग्रेड पे के आधार पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वर्गीकरण	बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वर्गीकरण।
1.	Grade-I	₹8700/- एवं इससे अधिक	अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति (केवल अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी)
2.	Grade-II	₹4800/- से ₹7600/- तक	Sr. Professional - Grade-I स्तर के बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति में कोई पदाधिकारी नहीं है।
3.	Grade-III	₹2400/- से ₹4600/- तक	Professional - Grade-II
4.	Grade-IV	₹2000/- एवं इससे कम	Support & Auxiliary Staff

उपर्युक्त वर्गीकरण एवं राज्य सरकार के ज्ञाप संख्या 3ए०-03(या०भ०)-01/2010 दिनांक 29.01.2010 के द्वारा संशोधित दर के समतुल्य उनके ग्रेड के अनुसार यात्रा भत्ता/अनुमान्यतायें देय होगा।

(iii) यात्रा हेतु श्रेणी/स्थान की अनुमान्यता - ग्रेड - 1 के पदाधिकारी यथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को ही वायुयान से Economy Class में यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(iv) रेल द्वारा यात्रा -

क्रम		अनुमान्य श्रेणी/सभी ट्रेनें
1.	अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति (केवल अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी)	ए०सी० (वातानुकूलित) प्रथम श्रेणी
3.	Professional - Grade-II	ए०सी० - 3 टीयर शयनयान श्रेणी / कुर्सीयान (ए०सी० चेयरकार)
3.	Professional - Grade-III	स्लीपर क्लास
4.	Support & Auxiliary Staff - Grade-IV	स्लीपर क्लास

(v) सड़क से यात्रा -

क्रम	समिति के अनुसार वर्गीकरण	अनुमान्यता
1.	अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति (केवल अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी)	वातानुकूलित बस/टैक्सी/कार
2.	Professional - Grade-II	बस/टैक्सी/ऑटो
3.	Professional - Grade-III	बस/ऑटो
4.	Support & Auxiliary Staff - Grade-IV	बस/ऑटो

(vi) राज्य के अंदर या बाहर वायुयान/ट्रेन से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा :-

क्रम	वाहन का प्रकार	किराया
1.	बस/वातानुकूलित बस	वास्तविक किराया
2.	टैक्सी	₹15 प्रति किलोमीटर (मेट्रो शहर) ₹12 प्रति किलोमीटर (अन्य स्थान)
3.	निजी कार	₹8 प्रति किलोमीटर
4.	ऑटो रिक्शा	₹8 प्रति किलोमीटर
5.	दुपहिया वाहन	₹3 प्रति किलोमीटर
6.	साईकिल	₹1.20 प्रति किलोमीटर
7.	पैदल	₹0.60 प्रति किलोमीटर
8.	प्री-पेड टैक्सी/ऑटो	वास्तविक किराया, प्राप्ति रसीद के आधार पर

नोट :- नियंत्री पदाधिकारी की पूर्वानुमति से 'निजी वाहन' से यात्रा सरकारी कार्य हेतु विशेष परिस्थिति में की जा सकती है। निजी वाहन से सरकारी कार्य हेतु यात्रा की अनुमति मात्र उन पदाधिकारियों को दी जाएगी जो टैक्सी से यात्रा करने की पात्रता रखते हैं तथा जिनके साथ कोई सरकारी वाहन सम्बद्ध नहीं है।

(vii) दैनिक भत्ता नियम-

2. शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर ₹ में

क्रम	Grade-Pay	श्रेणी-'X' (मेट्रो)	श्रेणी-'Y' (पटना)	श्रेणी-'Z' (अन्य)
1.	अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति (केवल अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी)	₹5000.00 होटल ₹500.00 सामान्य	₹4000.00 होटल ₹400.00 सामान्य	₹3000.00 होटल ₹300.00 सामान्य
2.	Professional - Grade-II	₹3000.00 होटल ₹400.00 सामान्य	₹2000.00 होटल ₹300.00 सामान्य	₹1000.00 होटल ₹200.00 सामान्य
3.	Professional - Grade-III	₹1500.00 होटल ₹300.00 सामान्य	₹1000.00 होटल ₹200.00 सामान्य	₹500.00 होटल ₹150.00 सामान्य
4.	Support & Auxiliary Staff - Grade-IV	₹1000.00 होटल ₹200.00 सामान्य	₹500.00 होटल ₹150.00 सामान्य	₹300.00 होटल ₹100.00 सामान्य

नोट :-

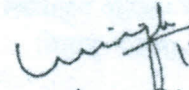
- (i) सरकारी सेवक द्वारा सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाऊस अथवा स्वयं की व्यवस्था के लिए सामान्य कॉलम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा।
- (ii) होटल का अर्थ निबंधित या लाइसेंस प्राप्त होटल या गेस्ट हाऊस से है, जिसकी बोर्डिंग और लॉजिंग की दरें निर्धारित हों।
- (iii) होटल में रहने की दर, रहने एवं खाने की संयुक्त दर है और इस श्रेणी में अधिकतम अनुमान्य है, बशर्ते इसके लिए वास्तविक अभिश्रव पेश किया जाए। ऐसी परिस्थिति में जिसमें सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाऊस में रहने पर व्यय सामान्य दर से ज्यादा हो तो वास्तविक व्यय अभिश्रव के आधार पर देय होगा। परन्तु यह किसी भी परिस्थिति में होटल रेट से ज्यादा नहीं होगा।
- (iv) शहरों का वर्गीकरण केन्द्र सरकार की अधिसूना के अनुसार होगा।
- (v) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के सभी कर्मियों को यात्रा की अपनी पात्रता श्रेणी के नीचे यात्रा अनुमति होगी।

(vi) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा के मामले में सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा यात्रा की अनुमति इस शर्त पर होगी कि कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा रेल किराया, अथवा वास्तविक किराया में जो कम हो, अनुमान्य होगा।

(vii) (क) राज्य के अंदर यात्रा के मामले में सर्किट हाऊस, निरीक्षण भवन तथा राज्य सरकार के किसी लोक उपक्रम के गेस्ट हाऊस/में स्थान उपलब्ध नहीं होने पर होटल में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्ते कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाए।

(ख) दिल्ली यात्रा की स्थिति में बिहार भवन अथवा बिहार निवास में स्थान अनुपलब्ध होने पर होटल कॉलम में अंकित दर पर दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्ते कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाए।

(ग) राज्य के बाहर (दिल्ली को छोड़कर) यात्रा की स्थिति में भारत सरकार/संबंधित राज्य सरकार द्वारा ठहरने हेतु व्यवस्था नहीं कराये जाने की स्थिति में होटल कॉलम में दर्ज दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, बशर्ते कि होटल में ठहरने संबंधी किराया की रसीद प्रस्तुत किया जाए।

 12.8.11

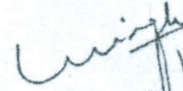
(राहुल सिंह)
सचिव,

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 5523 /

पटना, दिनांक 12/08/2011

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 12.8.11

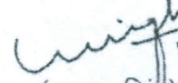
(राहुल सिंह)
सचिव,

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 5523 /

पटना, दिनांक 12/08/2011

प्रतिलिपि :- सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 12.8.11

(राहुल सिंह)

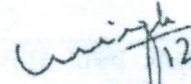
सचिव,

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 5523 /

पटना, दिनांक 12/08/2011

प्रतिलिपि :- लेखा पदाधिकारी/लेखापाल, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 12.8.11

(राहुल सिंह)

सचिव,

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति,
बिहार, पटना